न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्टट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 67 / 1977

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2020 / 00005

वादी	प्रतिवादीगण
1 धनराज पुत्र वजेसी, जाति–	1 वदना बैवा गोवदा
कलबी, साकिन–वांक, तहसील–	2 पवन पुत्री गोवदा
सांचौर, जिला–जालोर	3 खुमा पुत्र गंगा (नाऔलाद फौत)
	4 जगसी पुत्र खेमा
	5 धना पुत्र गंगा
	6 पता पुत्र गंगा
	7 काना पुत्र खेमा
	जातियान–मेघवंशी, निवासीगण–वांक
	तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 16.09.1975

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह कीलवा उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 05.03.2026

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद वांक, तहसील–सांचौर का खेत खसरा नंबर 83 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा वादी का खातेदारी का काश्त व कब्जा सुद कदीम से लगातार आज दिन तक चला आ रहा है। प्रतिवादी का कोई काश्त कब्जा या हक कतई न तो था न ही कभी भी रहा है। वक्त पैमाईश से उपरोक्त खसरा नंबर की शुरू से ही हम काश्त करते लगातार आ रहे है तथा किसी का भी दखल नहीं था। गिरदावरी भी इसी प्रकार लगातार दर्ज हो रही थी एवं इससे पूर्व इसकी हासिल की रसीदें भी हमारे पास है। वक्त पैमाईश प्रतिवादी हालीपने के तौर पर आया था अतः इस प्रकार गलत इन्द्राज हो गया। विनायदावा प्रतिवादी के नाम खातेदारी इन्द्राज होने से व इस साल पटवारी द्वारा वक्त बिगोड़ी न लेने से पैदा हुआ विनाय मुख्समात तारीख दावे से है।

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रकरण फैसला पश्चात माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर से रिमाण्ड होकर पुनः प्राप्त हुआ जिसे उसी नंबर पर दर्ज किया गया।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी धनराज पुत्र वजेसी, कौम–कलबी, निवासी–वांक, तहसील–सांचौर द्वारा दिनांक 29.07.2020 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी धनराज ने एक अपील

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष 18/89 बअनवान धनराज बनाम गोविन्दा व एक और अपील 149/89 बअनवान गंगा बनाम धनराज भी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी। उक्त दोनों अपीलों में हम पक्षकारान् के मध्य राजीनामा प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दोनों अपीलों का दिनांक 10.06.1991 को एक साथ निर्णय पारित कर आदेशित किया कि इस अपील संख्या 18/89 को इसी अदालत में चल रही अन्य अपील संख्या 149/89 गंगा बनाम धनराज के साथ सलंग्न किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 67/77 के दिनांक 05.12.1977 को पारित निर्णय निरस्त किया जाकर मुकदमा संख्या 67/77 अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री जारी करने हेतु रिमाण्ड किया। अतः प्रकरण संख्या 67/77 को पुनः दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ करावे। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.03.2020 को इस पत्रावली को नम्बर पर ली गई। सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक भीनमाल मुख्यालय सांचौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.1977 अनुसार ग्राम वांक के खसरा संख्या 83 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा भूमि का वादीगण मेगराज, मगा पिसरान उकरड़ा, जाति–भांबी, साकिन–वांक को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी अजबनाथ पुत्र पीरनाथ, जाति–स्वामी, साकिन–वांक का नाम हटाया जावें, जबकि प्रार्थी धनराज पुत्र वजेसी, कौम–कलबी, निवासी–वांक ने दिनांक 29.07.2020 का उपरोक्तानुसार प्रार्थना–पत्र पेश कर अपील संख्या 18/89 धनराज बनाम गोविन्दा व अपील संख्या 49/89 गंगा बनाम धनराज की अपीलों का माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा एक साथ निर्णय राजीनामा अनुसार पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई, परन्तु हस्तगत प्रकरण में वादीगण मेगराज, मगा पिसरान उकरड़ा, जाति–भांबी, साकिन–वांक तथा अपील संख्या 18/89 व 149/89 में पक्षकार कौन–कौन थे तथा उक्त अपीलों में क्या निर्णय हुआ तथा किस आधार पर उक्त पत्रावली रिमाण्ड की गई बाबत् अपीलों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हस्तगत प्रकरण में मौजूद नहीं है तथा प्रार्थी धनराज पुत्र वजेसी, कौम–कलबी, निवासी–वांक किस हैसियत से उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा न ही वादीगण मेगराज, मगा पिसरान उकरड़ा, जाति–भांबी, साकिन–वांक द्वारा हस्तगत प्रकरण में पैरवी की जा रही है। इसी प्रकार प्रार्थी धनराज ने अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 10.06.1991 के निर्णय अनुसार अपीलीय न्यायालय ने उक्त पत्रावली रिमाण्ड की है, जबकि प्रार्थी ने दिनांक 29.07.2020 को प्रार्थना–पत्र पेश कर उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने बाबत् उल्लेख किया है यानि प्रार्थी धनराज के कथनोनुसार अपीलीय न्यायालय के निर्णय होने के करीब 29 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी धनराज उक्त अपीलों में पक्षकार होने का उल्लेख प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में बताया है। इस प्रकार 29 वर्ष की लम्बी देरी के बाद उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु पुनः दर्ज करने का पेश किया है जिसमें इतनी लम्बी देरीना बाबत् कोई संतोषजनक कारण उक्त प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित नहीं किया है तथा सहायक

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक भीनमाल मुख्यालय सांचौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.1977 अनुसार वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण मेगराज, मगा पिसरान उकरडा, जाति–भांबी, साकिन–वांक को खातेदार घोषित किया है तथा भांबी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है तथा प्रार्थी धनराज पुत्र वजेसी कौम–कलबी, निवासी–वांक जो स्वर्ण जाति श्रेणी में आती है। इस प्रकार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि किसी स्वर्ण जाति के नाम नहीं की जा सकती है यदि अनुसूचित जाति की कृषि भूमि किसी स्वर्ण जाति के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तो वह धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा। प्रकरण के साथ राजीनामा तस्दीक की प्रतिलिपि सलंग्न है परन्तु मूल राजीनामा पत्रावली में सलंग्न नहीं है, अतएवः इस परिस्थिति में उक्त पक्षकारों के मध्य क्या समझौता/राजीनामा संपादित किया गया, उसकी भी जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी का वाद खारिज योग्य है।

:– आदेश –:

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वादी धनराज पुत्र वेजसी, कौम–कलबी, निवासी–वांक तहसील–सांचौर को इस स्टेज पर वादग्रस्त आराजी में दस्तावेजी साक्ष्य एवं वर्तमान नवीन परिस्थितियों में खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **05.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलेक्टर फास्ट–
ट्रैक, सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर